

प्रेषक,
धर्मेन्द्र प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी
रायबरेली।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 3० नवंबर, 2023

विषय:- जनपद रायबरेली में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सम्पन्न प्रान्तीयकृत मेला-कार्तिक पूर्णिमा मेला, डलमऊ के आयोजन हेतु पुनः बजट आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1303/एल०बी०सी०-का०पू०मे०ड०/ 2023, दिनांक 09.10.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद रायबरेली में सम्पन्न हुए प्रान्तीयकृत मेला- कार्तिक पूर्णिमा मेला, डलमऊ हेतु शासनादेश दिनांक 12.01.2023 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति धनराशि रू०-55.00 लाख, तकनीकी कारणों से कोषागार से आहरित नहीं न हो पाने के कारण पुनः धनराशि रू०-55.00 लाख आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद रायबरेली में सम्पन्न हुये प्रान्तीयकृत मेला- कार्तिक पूर्णिमा मेला, डलमऊ के वास्तविक व्यय के भुगतान हेतु धनराशि रू०-55.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि **रू०-55.00 लाख (रूपये पचपन लाख मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-


- (i) उक्त स्वीकृत धनराशि का मितव्ययतापूर्ण व्यय विवरण मय फोटोग्राफ उपयोगिता/उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है, तो उसको तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (ii) उक्त वित्तीय स्वीकृति के अतिरिक्त कोई भी धनराशि स्वीकृति नहीं की जायेगी। स्वीकृति धनराशि से अतिरिक्त व्यय करके दायित्व सृजित किया जाना वित्तीय अनियमितता होगी।
- (iii) उक्त धनराशि जिन मदों के लिये स्वीकृत की जा रही है, उन्हीं मदों में उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। किसी भी मद में बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जायेगा।
- (iv) शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 55,00,000 (रुपये पचपन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 205300 0940500** स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,




(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-2914/2023/013-58MELA-18, तदु दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र०, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, जिला रायबरेली।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-9/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2।
6. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-30/11/2023

प्रेषण संख्या:- 2914
आवंटन आदेश संख्या:- 001-2914-2023-013-58MELA-18
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2053 - जिला प्रशासन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

094 - अन्य स्थापनाएं
05 - स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगाने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | योग |
|-------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| 1 | रायबरेली-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 5500000 11500000 | 5500000 11500000 |
| | योग | वर्तमान प्रगामी | 5500000 11500000 | 5500000 11500000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचपन लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ पन्द्रह लाख


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव